न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 02/2013 (75 एल. आर. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2013/00022

उनवान

1. किशनचन्द पुत्र श्री गोरधन दास जाति खत्री आयु 68 साल निवासी सुनार गली बयाना जिला भरतपुर।
2. तरूण खत्री पुत्र श्री टिल्लूराम खत्री आयु 38 साल } जाति खत्री निवासी सुनार गली,
3. दीपक खत्री पु. श्री टिल्लूराम खत्री आयु 27 साल } बयाना (भरतपुर)

.....अपीलांट।

बनाम

1. नैमीचन्द
2. भगवत प्रसाद } पुत्रान स्व0 रामजीलाल जाति वैश्य निवासी बयाना जिला भरतपुर।
3. प्रहलाद कुमार

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.03.2013 प्रकरण संख्या राजस्व/परि./76/49 कार्या0 जिला कलक्टर, भरतपुर।

अभिभाषकगण :–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री गोविन्द सिंह उपस्थित ।
2. अधिवक्ता रैस्पो0 श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक–09.05.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रैस्पो0 के पिता रामजीलाल को साविक आराजी खसरा नम्बर 377 रकवा 01 बीघा का आवंटन/रूपान्तरण चूना भट्टा लगाये जाने हेतु खातेदारी अधिकार समर्पित कराये जाने के उपरान्त दिनांक 16.01.1977 को किया गया था। परन्तु जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.03.2013 से राजस्थान भू राजस्व(कृषि भूमियों का अकृषि में परिवर्तन) नियम 1961 के प्रावधानों के आधार पर गत खसरा नम्बर 377 वर्तमान खसरा नम्बर 714/1, रकवा 0.04 तथा 716/1 रकवा 0.10 है0 कुल किता 02 रकवा 0.14 है0

भूमि पर 90 बी प्रत्याहारित कर पुनः खातेदारी में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 में अपीलाण्ट का तर्क है कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही थे। तहसीलदार द्वारा अपीलाण्ट के खसरा नम्बर 717 में आराजी खसरा नम्बर 716 को बताकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.03.2013 पारित किया है जबकि मौके पर बताये गये स्थान पर अपीलाण्ट काबिज हैं। अतः आक्षेपित आदेश से उनके हित प्रभावित होते हैं। अतः प्रार्थनापत्र धारा 96 के तहत अपील ग्रहण किये जाने की प्रार्थना की गयी। न्यायहित में अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर, अपील ग्रहण की गई।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि रैस्पो0 ने तहसीलदार से मिल्लत कर खसरा नम्बर 716 को खसरा नम्बर 717 के स्थान पर नक्शा में बनाकर 716 में से 10 है0 भूमि को अपने नाम करवाने का आदेश पारित करवा लिया है जबकि खसरा नम्बर 717 बयाना कचहरी से पंचायत समिति रोड पर स्थित है उक्त खसरा नम्बर में 9/16 भाग पर अपीलाण्ट का कब्जा है जिस पर चारों ओर से पक्की दीवाल निर्मित है तथा एक पुराना चूना भट्टा बना हुआ है। खसरा नम्बर 716 राजस्व रिकार्ड में सिंचायचक दर्ज है, जो दमदमा से बयाना लिंक रोड है। अपीलाण्ट को खसरा नम्बर 716 में खातेदारी दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा कोई गलती की है तो उसे दुरूस्त करने का अधिकार सम्बन्धित एसडीओ को है। परन्तु उसे दुरूस्त करने का अधिकार ना तो तहसीलदार को है एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय को है इस विधिक प्रक्रिया को बिना अपनाये एवं महकमा सिंचाई विभाग को पक्षकार बनाये अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने अहम कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायलाय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाये जाने एवं अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर, पुनः विधिअनुरूप निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त एवं तहसीलदार की बयाना की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट ने हस्तगत अपील में यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार परिवेदित है। अपीलाण्ट खसरा नम्बर 717 में 9/16 भाग पर अपना कब्जा बताता है। परन्तु उनके द्वारा कथित कब्जा बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। बिना दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक कथन प्रभावहीन है। इस प्रकार अपीलांट का विवादित भूमि में हित स्पष्ट नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों बाबत् तहसीलदार से बिन्दुवार रिपोर्ट तैयार करवाई जाकर, मुताबिक रिपोर्ट, नजरी नक्शा आदि की विस्तृत जॉच कर, अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज योग्य समझते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर के आदेश दिनांक 07.03.2013 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official